रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 80] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 17, 1972/चैत्र 28, 1894

No. 80] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 17, 1972/CHAITRA 28, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

PUBLIC NOTICES

New Delhi, the 17th April 1972

No. **DRAWBACK/PN-32/72.**—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India, Extra Ordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1 dated the 15th October, 1971.

The description against Sub-Serial No. 5704 may be substituted as under:—

"Black and copying lead slips for pencils (excluding glass marking lead slips of all shades and other coloured lead slips)."

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

सार्वजनिक सूचनाएं

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 1972

सं० प्रतिअदायगी/पी एन–32/72.—सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रतिअदायगी नियमावली, 1971 भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/फा० सं० 602/2/70 प्रतिअदायगी) के नियम 4 के अधीन केन्द्रीय सरकार, सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिअदायगी/पी एन–1 दिनांक 15 अक्टूबर, 1971 में प्रकाशित सारिणी में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :-

उपक्रम संख्या 5704 के सम्मुख दिये गये विवरण को निम्न प्रकार से प्रतिस्थपित किया जाय :—

"पेन्सिलों के लिये ब्लैक एण्ड कापिइंग लैड स्लिप्स जिसमें सभी रंगों के ग्लास मार्किंग लैड स्लिप्स और अन्य रंगीन लैड स्लिप्स शामिल है ।"

No. DRAWBACK/PN-33/72.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India, Extra-Ordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1 dated the 15th October, 1971:—

In Column (4) against sub-clauses (i) and (ii) (A) of Sub-Serial No. 2726, and entries relating thereto the following shall be substituted with effect from 1st February, 1972, namely:—

(i) "The appropriate rate fixed under Sub-Serial No. 2622 in respect of jute content, plus the appropriate rate fixed under sub-serial No. 1914 for articles made of polythylene in respect of polythene content, if any."

(ii) (A) "The amount of import duty per Kg. of paper content paid in the relevant Bill of Entry or Rs. 2.40 (Rupees two and forty paise only) per Kg., whichever is less."

B. N. RANGWANI,
Jt. Director of (Drawback).

सं० प्रतिअदायगी/पी०एन० 33/72.—सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क प्रतिअदायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/फा० स० 602/2/70–प्र०अ०) के नियम 4 के अन्तर्गत, केन्द्रीय सरकार, सार्वजनिक सूचना सं० प्रति अदायगी/पी०एन०–1, दिनांक 15 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में, एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :—

स्तम्भ 4 में, उप-क्रम सं० 2726 के उपखंड (i) तथा (ii) (क) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के सामने 1–2–1972 से निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायगा, यथा :—

(i) पटसन अन्तर्वस्तु के संबंध में उप-क्रम सं० 2622 के अन्तर्गत निश्चित समुचित दर तथा पोलिथीन अन्तर्वस्तु के संबंध में पोलिथिलीन से निर्मित वस्तुओं के लिए उप क्रम सं० 1914 के अन्तर्गत निश्चित समुचित दर, यदि कोई हो।

(ii) (क) कागज अन्तवस्तु के प्रति किलोग्राम पर संगत आगम पत्र में अदा की गयी आयात शुल्क की रकम अथवा 2.40 रुपये (केवल दो रुपये तथा चालीस पैसे) प्रति किलोग्राम, जो भी कम हो।

बी० एन० रंगवानी,
संयुक्त निदेशक, प्रतिअदायगी।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972